

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निरीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध) एवं अवर निबंधक के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) दिनांक 15.11.2018 को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार किया जायेगा:-

निरीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध)		
दिनांक-15.11.2018 पूर्वाह्न 10:00 बजे से		
क्रमांक	नाम	अनुक्रमांक
1	अभिनव कुमार	425817
2	खुशबू कमारी	115803
3	प्रभात विद्यार्थी	105615
4	संजीव कुमार सिंह	370510
5	समीर कुमार	259785
6	मुकुंद शेखर	193901
7	सुमन कान्त झा	173295
8	खेम चन्द कुमार	436121
9	सोनी सरोज	291192
10	संजीत कुमार	173885
11	सुनील कुमार	398454
12	देवव्रत कुमार	163262


अवर निबंधक		
दिनांक-15.11.2018 अपराह्न 02:00 बजे से		
क्रमांक	नाम	अनुक्रमांक
1	शाकम्भरी चन्दन	211994
2	राज कुमार प्रभाकर	471683
3	अम्बुज कुमार कुणाल	204553
4	मो0 मुशीर आलम	487199
5	सत्य प्रकाश अनन्त	410592
6	अरविन्द कुमार यादव	353699
7	प्रसन्न कुमार	345727
8	प्रफुल्ल कुमार सिंह	107619
9	ज्योत्सना कुमारी	454949
10	राजीव रंजन	284064
11	मह जबीन	477897
12	सन्तोष कुमार लोहरा	205655
13	अहमद हुसैन	171310
14	देवेन्द्र प्रसाद	327335
15	कौशल कुमार मधुकर	154454
16	संजीव रंजन	169149
17	तुषार	118047
18	संजय कुमार	174394
19	अजय कुमार चौधरी	249191

उक्त के संबंध में विस्तृत सूचना मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के विभागीय वेबसाईट www.registration.bih.nic.in एवं www.excise.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
2. इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में नियोजित/कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्तिप्रमाण-पत्र (N.O.C)।

5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (BC/MBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए)।
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
8. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
10. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 02(दो) प्रतियों में। विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र की "सभी प्रमाण-पत्र सही है तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है।" उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
12. पासपोर्ट साईट का अभ्यर्थी का 04 (चार) नवीनतम कलर फोटो।
13. कोई फोटो दस्तावेज, जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सकें (यथा-आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।
14. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।



 29/10/18
 संयुक्त सचिव,

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
 बिहार, पटना।

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निरीक्षक उत्पाद (मद्य निषेध) के पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक अद्यतन
हस्ताक्षरित फोटो प्रति



चेतावनी -

1. इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना अथवा वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुषयुक्त घोषित किया जा सकता है।
2. यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किए जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस पदाधिकारी को भेजी जाए, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
3. यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

1. उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम
(यदि आपने कभी अपने नाम अथवा
कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला
हो तो उसे
विनिनिर्दिष्ट करें)

कुलनाम

नाम

2. वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना
तथा जिला अथवा मकान नं०
गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर

3. (क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव,
थाना तथा जिला अथवा मकान नं०,
गली/स्ट्रीट/सड़क व शहर और
जिला मुख्यालय का नाम

(ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश
(पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी
हो तो उस देश में रहने का पता
तथा वहाँ से भारत आने की तारीख
का उल्लेख करें।

4. गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दे (आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।

सो	तक	आवास का पूरा पता (अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं० गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कालम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5.

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय (यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता (दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता (उपनामो सहित, यदि कोई हो तो)					
(ख) माँ					
(ग) पत्नी/पति					
(घ) भाई					
(ङ) बहन/बहनें					

6. उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं :-

नाम	राष्ट्रीयता (जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कालम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं
1	2	3	4	5

7. राष्ट्रीयता

- (क) जन्म तिथि (क)
 (ख) वर्तमान आयु (ख)
 (ग) मैट्रिकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु (ग)

8. (क) जिले व राज्य का नाम सहित जन्म स्थान (क)
 (ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ख)
 (ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं। (ग)

9. (क) आपका धर्म
 (ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे संबद्ध हों, उसका नाम लिखें।

10. 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है: तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

11. (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय, अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फार्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

11. (ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियत्राधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है? क्या नोटिस दिए जाने अथवा सेवा समाप्त किए जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

12. (i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है? हाँ/नहीं
 (ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है? हाँ/नहीं
 (ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है? हाँ/नहीं
 (घ) क्या कभी आपको नजरबन्द किया गया है? हाँ/नहीं
 (ङ) क्या किसी विधि न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है? हाँ/नहीं
 (च) क्या कभी किसी विधि-न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया है? हाँ/नहीं
 (छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है? हाँ/नहीं

(ii) यदि यह प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।

(iii) नोट:—(i) कृपया इस प्रपत्र के ' प्रारंभ ' में लिखी ' चेतावनी ' को भी देखें।

(ii) प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर 'हाँ' 'नहीं' जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।

13. अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।

14. मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम,
पदनाम तथा पूरा पता

(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद,
जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।

In the Court of Sub- divisional Magistrate /Executive Magistrate

Sri.....
S/O. D/O..... Aged.....

by caste.....by faith.....

by Nationality Indian by occupation.....resident of

Village.....Town.....

P.O.....P.S.....

District.....do here by solemnly affirm and declare as follows:-

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the Honourable Court.
- (iii) That all the documents i.e. Caste Certificate, Residential Certificate, Educational Qualification Certificate/Marks Sheet and others Certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Public Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law.

The statements made above are true to the best of my knowledge, belief & information and sign this.....day.....

at.....

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is identified by the Advocate.....

Signature of Magistrate.....